# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 18/510

1. मोहम्मद हुसैन आयु 80 वर्ष आत्मज श्री अहमद बक्ष जाति मुसलमान निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. अब्दुल गनी आयु 78 वर्ष आत्मज श्री अहमद बक्ष जाति मुसलमान निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

**बनाम**

1. रामनारायण आत्मज रामनाथ जाति बारेठ निवासी ग्राम टोपा हाल मजरा मोतीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. अंजू कुमारी पुत्री रामदयाल आत्मज रामनारायण जाति बारेठ निवासी केयर/ऑफ रामकुंवार बारेठ निवासी खलून्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/2. श्याम बिहारी आत्मज रामकुंवार (पति मांगीबाई) जाति बारेठ निवासी खलून्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/3. भवानी शंकर आत्मज रामकुंवार (पति मांगीबाई) जाति बारेठ निवासी खलून्दा तहसील
   1/4. सुशीला बाई पुत्री रामकुंवार (पति मांगीबाई) जाति बारेठ निवासी खलून्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साह0 हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमन्त योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अभय देव शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 31.01.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हरणा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कुल 17 किता की रकबा 19

बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामनारायण ने वादग्रस्त आराजी में से 09 बीघा 11 बिस्वा भूमि दिनांक 13.02.1967 को बेचान कर बेचान राशि प्राप्त कर भूमि पर कब्जा वादी को संभला दिया था तथा उक्त बेचान के विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 08.06.1967 को उप पंजीयक हिण्डोली के यहॉ करवा दिया था तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामनारायण ने वादग्रस्त आराजी में से 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी अब्दुल गनी को दिनांक 12.08.1969 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा वादी अब्दुल गनी को संभला दिया था तब से वादी अब्दुल गनी उक्त क्रय की गई भूमि पर निरन्तर शांति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि वादी द्वारा क्रय करने के बाद प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं रहा है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी में से 1/2 हिस्से पर वादी क्रम 01 को एवं वादग्रस्त आराजी में से शेष 1/2 पर वादी संख्या 02 के खतोदारी अधिकारों की घोषणा करवाए एवं राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज करवाए एवं राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी क्रम 01 का नाम विलोपित करवाए तथा वर्तमान खातेदार की जाति ढोली के स्थान पर बारेठ दर्ज करवाकर उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करावे ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान के खातेदार की जाति ढोली के इन्द्राज को दुरूस्त कर बारेठ दर्ज करने की घोषणा की जावे एवं वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार अब्दुल हुसैन एवं शेष 1/2 हिस्से का खातेदार अब्दुल गनी को घोषित किया जावे एवं खातेदार के स्थान पर से प्रतिवादी क्रम 01 का नाम विलोपित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.05.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार रामनारायण द्वारा उक्त कृषि भूमि का बेचान कर दिये जाने से मृतक रामनारायण के वारिसान का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं होने पर भी सरपंच ग्राम पंचायत रोशन्दा द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किये गये है जो प्रारम्भ से ही शून्य होने से कोई अधिकार नहीं रखने से वादीगण खातेदार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रृटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखने की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही एक तरफा रूप से निर्णय पारित कर दिया । अपीलान्ट वादीगण दोनों ही वृद्ध व्यक्ति हैं तथा घुटनों में दर्ज से चलने–फिरने में असमर्थ होने तथा

आखों से भी कम दिखाई देता है । अपीलान्टगण ने अभिभाषक द्वारा भी उन्हें उक्त निर्णय के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई । इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टगण के हिण्डोली जाने पर अपने वकील साहब से सम्पर्क करने पर दिनांक 25.05.2018 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायलाय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा एक दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया था और यह कथन किया गया है कि आराजी तत्कालीन खातेदार रामनारायण वल्द रामनाथ कौम बारेठ से 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 1966 में वादी संख्या 02 अब्दुल गनी ने क्रय की थी और विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक अधिकारी हिण्डोली के कार्यालय में करवाया था कब्जा भी क्रेता को दिया गया था । इसी प्रकार इस आराजी का 1/2 हिस्सा सन् 1967 में अपीलान्ट मोहम्मद हुसैन को बेचान कर कब्जा संभलाया गया था । विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में करवाया गया था तब से ही इस आराजी पर वादीगण का कब्जा है । प्रतिवादी क्रम 1 की जाति बारेठ है । जमाबन्दी में सहवन से बारेठ के स्थान पर ढोली दर्ज किया गया है । दावा साक्ष्य वादी में लम्बित था और दिनांक 23.03.2015 की आदेशिका के अनुसार एक प्रार्थना पत्र वादीगण की ओर से कब्जे की रिपोर्ट के लिए पेश किया और आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.04.2015 दी गई और दिनांक 30.04.2015 को दिनांक 11.06.2015 की तारीख नियत की गई इससे पूर्व ही दिनांक 27.05.2015 को लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में दावा वादीगण खारिज किया गया है । न तो वादीगण को लोक अदालत की कोई सूचना दी गई और न ही वादी लोक अदालत में उपस्थित हुए थे । सीपीसी की पालना किये बिना दावा खारिज किया है । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है । रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल पार्ट–2 रूल 09 से लेकर 13 के अनुसार यदि प्रकरण कोर्ट कैम्प के लिए रखा जाता है कि तो पक्षकारों को सूचना दिया जाना अनिवार्य होता है । लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है । अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । इसलिए जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है विलम्ब के लिए धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएल डब्ल्यू 2017 (1) (राज0) पेज 592, आरएलडब्लयू 2005 (1) पेज 432 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और क्रेता सवर्ण हैं । अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी सवर्ण के द्वारा क्रय नहीं की जा सकती है । धारा 42 बी के उल्लंघन में वादीगण के पक्ष में किसी प्रकार का हक घोषणा का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत

है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी दिनांक 23.03.2015 को वादी की ओर से कब्जा काश्त की रिपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया और इसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.04.2015 एवं 30.04.2015 से दिनांक 11.06.2015 की दी गई और दिनांक 11.06.2015 से पूर्व ही एक आदेशिका पत्रावली में अंकित है जिसमें कोई तारीख अंकित नहीं की गई है और उसमें यह लिखा गया है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा कोर्ट कैम्प में रखने योग्य पाया गया । अतः दिनांक 27.05.2015 को कोर्ट कैम्प में रखा जावे । दिनांक 27.05.2015 को पक्षकारों की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । दिनांक 27.05.2015 को न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है । पक्षकारों को कोर्ट कैम्प की तिथि के बारे में कोई नोटिस जारी किये गये हों इसका रिकॉर्ड भी पत्रावली में संलग्न नहीं है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. *अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।* अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.1.20

**(भागवंती जेठवानी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**